न्यूज़ टुडे

नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तपोषण (Mobilising Electric Vehicle Financing in India) पर रिपोर्ट जारी की है

- इस रिपोर्ट में भारत में **इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles: EVs) की स्वीकार्यता में वित्त की भूमिका** को रेखांकित किया गया है। भारत के EV- तंत्र के समक्ष अभी भी प्रौद्योगिकी लागत, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और उपभोक्ता व्यवहार संबंधी अवरोध उपस्थित हैं।
- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष**
  - मांग सृजन, राज्य की EV नीतियां और घरेलू विनिर्माण के कारण **EV के प्रति आकर्षण में वृद्धि हो रही है।**
  - **इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने** हेतु इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना तथा बैटरी क्षेत्र में आगामी दशक में संचित रूप से **266 बिलियन डॉलर के पूंजी निवेश** की आवश्यकता है।
  - **भारत में EV की स्वीकार्यता के समक्ष निम्नलिखित बाधाओं की पहचान की गई है**
    - **उच्च प्रौद्योगिकी लागत; नीति का कार्यान्वयन;** अल्प घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति; चार्जिंग अवसंरचना जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में कमी आदि।
    - **वित्तपोषण संबंधी बाधाएं:** उच्च ब्याज दरें, ऋण–मूल्य अनुपात का कम होना, सीमित वित्तपोषण विकल्प, उच्च बीमा लागत इत्यादि।
- **रिपोर्ट में आवश्यक पूंजी को उत्प्रेरित करने हेतु समाधान के कुछ विकल्पों की पहचान की गई है।**

1 लघु अवधि

- बैंकों को ऋणों में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार** (Priority sector lending: PSL) **संबंधी दिशा–निर्देशों में EVs को शामिल करना।**
- ऋण की वहनीयता में सुधार के लिए ब्याज सहायता प्रदान करना।

2 मध्यम अवधि

- EV मॉडल से संबंधित अनिश्चितता के निवारण हेतु **उत्पाद की गारंटी और वारंटी प्रदान की जाएगी।**
- **सरकार और विविध हितधारकों के नेतृत्व में एक जोखिम साझाकरण तंत्र स्थापित किया जाएगा।** यह तंत्र EV क्षेत्र में विश्वास सृजन के साथ–साथ EVs के वित्तपोषण से संबंधित संभावित क्षतियों को समाविष्ट करेगा।

3 दीर्घावधि

- उद्योग–नेतृत्व आधारित बायबैक (वापसी खरीद) कार्यक्रमों, जैसे **द्वितीयक बाजार का विकास करना तथा** बैटरी–रीपर्पजिंग (भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग) योजनाओं का निर्माण करना आदि जिनसे EVs के अवशिष्ट मूल्य में सुधार प्रेरित होगा।

विश्व धरोहर स्थलों (World Heritage Site) की अनंतिम सूची (Tentative List)

- **विश्व धरोहर सूची/अनंतिम सूची के अंतर्गत** स्थलों का आवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। इन **स्थलों का चयन यूनेस्को (UNESCO) के मानदंडों को पूर्ण करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता है।**
  - किसी स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित होने के लिए अनंतिम सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध होना एक पूर्व आवश्यक शर्त है।
- वर्तमान में, **भारत में कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं।** ज्ञातव्य है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन हेतु धोलावीरा का प्रस्ताव वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित किया गया था। **शांतिनिकेतन** और **होयसलों का पवित्र स्थापत्य समूह** (Sacred Ensemble of Hoysalas) का प्रस्ताव वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तुत किया गया है।

स्थल	प्रमुख विशेषताएं
धोलावीरा: एक हड़प्पाकालीन नगर	• यह **कच्छ के रण के मध्य में खादिर बेट द्वीप पर** अवस्थित है। यह हड़प्पा काल के परिपक्व चरण से संबंधित है। • यह चतुष्कोणीय नगर दो मौसमी नदियों यथा: उत्तर में **मनसर** (Mansar) और दक्षिण में **मनहर** (Manhar) के मध्य स्थित है। • **इस नगर के तीन महत्वपूर्ण भाग हैं यथा: ऊपरी नगर** (गढ़ी), **मध्य नगर** (एक विशिष्ट सड़क–प्रतिरूप, विस्तृत प्राचीर और एक अनुष्ठानिक मैदान) तथा **निचला नगर** (संकरी गलियां, लघु प्राचीर एवं औद्योगिक क्षेत्र)। • धोलावीरा में निर्माण हेतु भलीभांति गढ़े हुए पत्थरों का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया गया था। • इस नगर में **जल संरक्षण प्रणाली** वर्षा जल संचयन पर आधारित थी। कुछ शैलकृत (rock-cut) कुओं की भी खोज की गई है।
शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल	• शांतिनिकेतन, **एक विश्वविद्यालय शहर** (यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय अवस्थित है) के रूप में विख्यात है। इसका निर्माण मूल रूप से **देवेंद्रनाथ टैगोर** द्वारा एक आश्रम के रूप में किया गया था, जहां कोई भी व्यक्ति एक परम ईश्वर का ध्यान कर सकता था। • यहाँ निर्मित संरचनाओं में **शांतिनिकेतन गृह** और एक रंगीन कांच का मंदिर था, जहां किसी भी संप्रदाय का श्रद्धालु देवोपासना कर सकता था। • **कालान्तर में निर्मित अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं में शामिल हैं:** ➢ **नंदलाल बोस** द्वारा निर्मित सुंदर भित्तिचित्रों से युक्त **पाठ–भवन।** ➢ **नतुन–वाड़ि,** एक घास–फूस से निर्मित कुटीर।
होयसल शासकों का पवित्र स्थापत्य समूह (कर्नाटक में बेलूर और हैलेबिडु)	• यह पश्चिमी घाट के गिरिपाद में स्थित है। इस पवित्र स्थापत्य समूह में **हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, संपूरक संरचनाएं, जटिल मूर्तिकला और मूर्ति विज्ञान, मंदिर नृत्य एवं संगीत** आदि शामिल हैं। ➢ बेलूर में **चेन्नकेशव** मंदिर और हैलेबिडु में **होयसलेश्वर मंदिर** को होयसल कला की उत्कृष्ट कृतियां माना जाता है। • सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थापत्य उपलब्धि **तारे के आकार की योजनाओं में निर्मित पाषाण के मंदिर** हैं। • होयसल स्थापत्यकला, नागर और द्रविड़ कला शैलियों की एक मिश्रित शैली है। • सामान्यत: **कल्याणी या सीढ़ीदार कुएं** पाए गए हैं। • यह स्थापत्य समूह **वैष्णववाद, शैववाद और जैन धर्म** की आध्यात्मिक मान्यताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण अभिकर्त्ता है।

उच्चतम न्यायालय (SC) द्वारा यह परीक्षण करने का निर्णय लिया गया कि क्या 50% आरक्षण सीमा पर निर्णयन वृहद पीठ को प्रेषित किया जाना चाहिए?

- SC ने, मराठा आरक्षण की संवैधानिक वैधता की जांच करते हुए इस **मामले के विचाराधीन मुद्दों को रेखांकित किया है, जो निम्नलिखित हैं:**
  - **वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी वाद में** (जो **मंडल निर्णय** के रूप में लोकप्रिय है) दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है अथवा नहीं है।
    - इंद्रा साहनी वाद में, SC ने **"असाधारण परिस्थितियों"** (extraordinary circumstances) को छोड़कर नौकरियों और शिक्षा में अधिकतम 50% आरक्षण निर्धारित किया था।
  - **मराठा कोटा कानून** को असाधारण परिस्थितियों की छूट के अंतर्गत पारित किया गया है, जिसके तहत आरक्षण 50% की सीमा को पार कर सकता है।
    - ज्ञातव्य है कि गुजरात में **पटेल,** हरियाणा में जाट और आंध्र प्रदेश में **कापू समुदाय** द्वारा की जा रही आरक्षण की मांग भी मराठा आरक्षण मुद्दे के समान ही है।
    - राज्यों ने इंद्रा साहनी वाद के निर्णय के उपरांत आरक्षण संबंधी कानूनों को **नौवीं अनुसूची में समाविष्ट कर 50% की सीमा का उल्लंघन किया है।**
  - **102वां संविधान संशोधन अधिनियम (2018)** राज्य की विधायिका को राज्य के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी पहचान करने हेतु **कानून अधिनियमित करने की उसकी शक्ति से वंचित करता है।**
    - इस संशोधन ने **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग** (National Commission for Backward Classes) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है।
    - **इसने संविधान में अनुच्छेद 342 A भी समाविष्ट किया है।** इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु प्राधिकृत है।

इंद्रा साहनी वाद में आरक्षण हेतु निर्धारित की गई शर्तें

- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण।
- ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर 50% सीमा का निर्धारण किया गया।
- क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्ग से बाहर किया जाना चाहिए।
- पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।

VISIONIAS

हरियाणा सरकार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion: NCM) का सामना करेगी

- संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव (NCM) के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यातव्य है NCM **का उपबंध राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के नियमों द्वारा किया गया है।**
  - **अनुच्छेद 164(2)** यह प्रावधान करता है कि **मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।**
- यदि विधानसभा के किसी **सदस्य को यह अनुभव होता है कि सदन में सत्तारूढ़ सरकार के पास बहुमत का अभाव है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तावित कर सकता है। सदस्य को सदन में NCM प्रस्तुत करने के लिए कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है।**
  - **NCM को केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद (CoM) के विरुद्ध ही लाया जा सकता है।**
- NCM को स्वीकार करने के लिए आवश्यक सदस्यों के समर्थन के संदर्भ में **विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्नता विद्यमान है,** (जबकि लोकसभा में प्रस्ताव पर 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है)। जब लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष को यह समाधान हो जाता है कि प्रस्ताव को आवश्यक समर्थन प्राप्त हो चुका है, तब वह सदन का मत जानना चाहेगा कि क्या प्रस्ताव अपनाया जा सकता है।
  - यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो **सत्तारूढ़ दल को सदन में बहुमत सिद्ध करना होगा।**
- **यदि प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है,** तो मंत्रिपरिषद (CoM) को अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ता है।

विश्व बैंक के अनुसार परस्पर विश्वास का अभाव (Trust deficit), भारत और बांग्लादेश के मध्य पण्य की निर्बाध आवाजाही के समक्ष बाधा है

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार **बांग्लादेश और भारत के मध्य निर्बाध द्विपक्षीय संपर्क से बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय में 17%** और **भारत की राष्ट्रीय आय में 8% की वृद्धि** संभव है।
- **अन्य प्रमुख निष्कर्ष:**
  - भारत में किसी कंपनी के लिए, बांग्लादेश की किसी कंपनी की तुलना में ब्राजील या जर्मनी की किसी कंपनी के साथ व्यापार करने की लागत **लगभग 15-20% तक कम** है।
  - वर्तमान में, **बांग्लादेश–भूटान–भारत–नेपाल (BBIN) मोटर यान समझौते** के बावजूद ट्रकों को भारत और बांग्लादेश के बीच आवाजाही की अनुमति नहीं है।
    - **पेत्रापोल–बेनापोल** (Petrapole-Benapole) में सीमा पार करने में औसतन 138 घंटे लगते हैं।
  - **व्यापार के समक्ष मुख्य बाधाएं:** अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना, **संरक्षणात्मक प्रशुल्क और गैर–प्रशुल्क बाधाएं** तथा **व्यापक स्तर पर विश्वास की कमी।**
  - भारत और बांग्लादेश के मध्य कार्गो के मुक्त आवागमन से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समग्र लाभ के साथ–साथ, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी उल्लेखनीय लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
- विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है, **जब भारत के प्रधान मंत्री मैत्री सेतु** (Maitri Bridge) का उद्घाटन कर रहे थे। यह सेतु **त्रिपुरा और बांग्लादेश** के मध्य **भारतीय सीमा पर फेनी नदी** पर निर्मित किया गया है।
  - **मैत्री सेतु, रामगढ़ (बांग्लादेश)** और **सबरूम (भारत)** को जोड़ता है।
  - यह सेतु **त्रिपुरा से चटगाँव समुद्री पत्तन तक पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा।** यह पत्तन **सबरूम** से मात्र 80 किमी की दूरी पर अवस्थित है।

अन्य सुर्खियाँ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपना त्यागपत्र सौंपा (Uttarakhand Chief Minister submitted his resignation)	○ राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपने के पश्चात, मुख्यमंत्री को राज्यपाल की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। ➢ इस दौरान **पदग्राही मुख्यमंत्री ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनकर सरकार का संचालन कर रहे हैं।** ○ एक बार त्यागपत्र स्वीकार कर लेने के उपरांत, राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं: ➢ वह या तो वर्तमान सत्तारूढ़ दल से उम्मीदवार के मनोनयन के लिए कह सकता है और उस दल को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। ➢ या, **अन्य दलों को बहुमत सिद्ध करके सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित** कर सकता है। ➢ या यदि उपर्युक्त दो विकल्प सफल नहीं होते हैं, तो **राष्ट्रपति से राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356) के प्रवर्तन** का निवेदन कर सकता है।
नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू एप्रेंटिसशिप प्रोग्राम (National Employability through Apprenticeship Program: NETAP)	○ NETAP द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार प्रशिक्षुओं की भर्ती में वृद्धि दृष्टिगत हुई है। ➢ लगभग **41% नियोक्ता प्रशिक्षुओं (अप्रेंटिस) को नियोजित करने के इच्छुक हैं।** ➢ समीक्षा में शामिल 16 से अधिक क्षेत्र, प्रशिक्षुओं को नियोजित करने हेतु उत्सुक थे। इन क्षेत्रों में **विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, यात्रा और आतिथ्य** (hospitality) आदि शामिल हैं। ○ NETAP **एक प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य संगठनों को एक योग्य, मजबूत और टिकाऊ कार्यबल एवं उत्पादक मानव आपूर्ति श्रृंखला** विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। ➢ यह **नियोक्ता द्वारा 100% वित्त पोषित सार्वजनिक–निजी भागीदारी** पहल है। इसके हितधारकों में वर्तमान में **टीमलीज़ स्किल यूनिवर्सिटी, स्कूलगुरु, भारतीय उद्योग परिसंघ** (CII) और **कौशल विकास मंत्रालय** शामिल हैं।
साइबर वॉलंटियर कार्यक्रम (Cyber Volunteer Program: CVP)	○ गृह मंत्रालय (MHA) ने जानकारी दी है कि **साइबर स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए** CVP को निम्नलिखित प्रयोजनार्थ आरंभ किया गया है: ➢ देश में साइबर अपराध के विरुद्ध प्रयासों में योगदान देने के लिए नागरिकों को एकजुट करना। ➢ साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य/ संघ शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करना। ○ CVP की परिकल्पना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre: I4C) द्वारा की गई है। ➢ **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** (I4C), गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है। यह साइबर अपराध के विरुद्ध किए जा रहे प्रयासों में **राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल अभिकरण** के रूप में कार्य करता है। ➢ यह **साइबर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन में शिक्षा व उद्योग जगत, जनता तथा सरकार** को एक साथ एक मंच पर लाता है।
Places in News	○ **सेनकाकू/दियाओयू द्वीप समूह** (Senkaku/Diaoyu Islands) ➢ ये द्वीप समूह **चीन और जापान के क्षेत्रीय विवादों के मुद्दे** रहे हैं। ➢ नई रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में **चीनी गतिविधियों में वृद्धि** हुई है। ○ **मोंगला पत्तन, बांग्लादेश** (Mongla Port] Bangladesh) ➢ यह **बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री पत्तन** है। ➢ भारत और बांग्लादेश ने **वर्ष 2015 में चट्टोग्राम (चटगांव) और मोंगला पत्तनों** के उपयोग पर **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए थे। यह मोंगला पत्तन से **जलमार्ग, सड़कों** और रेलवे के माध्यम से **भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में माल–परिवहन की व्यवस्था** पर आधारित था।

VISIONIAS